कार्यालय राजकीय ....

....

क्रमांक–   दिनाँक–

श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/ मा.द. /अंग्रेजी माध्यम/संस्थापन/66170/2022–23/144 दिनांक 17.10.2022 के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाना है।

अतः स्थानीय विद्यालय में उक्त योजना के तहत निम्नांकित रिक्त पदों के लिए आवेदन स्वीकार किए जाते हैं जिनका विवरण एवं शर्तें निम्न प्रकार से है।

1. रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	पद	विषय	रिक्त पदों की संख्या
1	व्याख्याता		
2	वरिष्ठ अध्यापक		
3	अध्यापक लेवल–2		
4	अध्यापक लेवल–1	–	
5	प्रयोगशाला शिक्षक	–	
6	शारीरिक शिक्षक	–	
7			
8			
9			
10			

2. पद एवं योग्यताऐं –

Name of Post	Qualification
व्याख्याता (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम - 2022 पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार
वरिष्ठ शिक्षक (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम - 2022 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार
शिक्षक स्तर -2 (विभिन्न विषय)	राजस्थान पंचायत राज नियम-1996 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार शिक्षक स्तर -1 राजस्थान पंचायत राज नियम-1996 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार
प्रयोगशाला सहायक	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम - 2021 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार
शारीरिक शिक्षक	शारीरिक शिक्षा अध्यापक राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम - 2021 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार

नोट :–

1. गेस्ट फैकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधान के अनुसार होगी।
2. विद्या संबल योजना के तहत गैस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त / निजी अभ्यर्थी लगाए जाएंगे।

3. सेवानिवृत्त शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे बशर्ते उन्होंने आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो लेकिन अध्यापक लेवल 1 व अध्यापक लेवल 2 पदों के लिए सेवानिवृत शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी।
4. सेवानिवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।
5. भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होगी ।

3. योजना के अंतर्गत मानदेय -

पद	कक्षा	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
अध्यापक लेवल 1 एंड 2	पहली से आठवीं कक्षा	₹300	₹21000
वरिष्ट अध्यापक	नवी से दसवीं कक्षा	₹350	₹25000
प्राध्यापक	11वीं और 12वीं कक्षा	₹400	₹30000
शारीरिक शिक्षा	-	₹300	₹21000
सहायक	-	₹300	₹21000

4. कार्यक्रम एवं समय सारणी

क्र.सं.	दिनांक	कार्यक्रम
1	01.11.2022 तक	विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का विवरण
2	02.11.2022 से 04.11.2022 तक (विद्यालय स्तर में)	आवेदन करने की तिथि
3	05.11.2022	प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना
4	07.11.2022	1 पात्रता की जाँच करना 2 वरीयता सूची (अस्थायी) का प्रकाशन करना।
5	09.11.2022	आपत्तियाँ प्राप्त करना
6	10.11.2022	अंतिम वरीयता सूची (स्थायी) प्रकाशित करना
7	11.11.2022	मूल दस्तावेजों का सम्यापन करना
8	12.11.2022	आदेश जारी करना
9	19.11.2022	कार्यग्रहण की अंतिम तिथि

5. आवेदन प्रक्रिया –

किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त / निजी अभ्यर्थी , जो उय पद की पात्रता रखते हों , निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय–सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/पीईईओ को स्वयं व्यक्शि: उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।

6. वरीयता का निर्धारण –

''विद्या संबंल योजना'' के तहत गैस्ट फेकल्टी लगाण जाने हेतु प्राप्त आवेदन–पत्रों की जाँच के उपरांत विद्वालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संगंधित

प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत अंकभार जोड़कर किया जाएगा।

समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। गेस्ट फेकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।

7. अन्य शर्तें –

(1) चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फेकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य/पीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक एवं समय पर वे कार्य करने हेतु उपस्थित होंगे।

(2) निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के अगले क्रमांक के अभयर्थी को गेस्ट फेकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

(3) गेस्ट फेकल्टी के रूप में संत्रान्त अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो , तक के लिए पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाया जाएगा।

(4) गेस्ट फेकल्टी के रूप में लगाए जाने वाले निजी अभ्यर्थियों /सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा–निर्देशों के अध्ययीन रखा जाएगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित है।

(5) गेस्ट फेकल्टी के कार्यों का नियमित अवलोकन प्राचार्य/पीईइओ द्वारा किया जाएगा। कार्यकुशलता में कमी , दुराचरण, अनियमितता, या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य/पीईइओ द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फेकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा।

नोट –

(क) सभी अभ्यर्थी अपने आवेदन–पत्र मय दस्तावेजों के साथ दिनांक 02.11.2022 से 04.11.2022 तक विद्यालय समय में कार्यालय में जमा करवा सकते है।

(ख) सभी अभ्यर्थी श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा –मा /मा.द./अंग्रेजी माध्यम/संस्थापन/66174/2022–23/149 दिनांक 17.10.2022 के अनुसार पदों की योग्यताओं , नियमों एवं शर्तों का पूर्णतः अध्ययन करके ही आवेदन करें।

प्रधानाचार्य

राउमावि,......................